lekpkj izdk'ku
lapkj

vVkuhZ tujy ¼egkU;k;oknh½
ea=ky;

तत्काल प्रकाशन के लिए
15 नवंबर, 2006

eSdXqUVh (McGuinty) ljdkj ekuokf/kdkj dkuwu dks l'kDr cuk,xh

प्रस्तावित नई प्रणाली के विवरण में संशोधन

टोरंटो – मैकगुन्टी सरकार, बिल 107, मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006 को अधिक मजबूती प्रदान करने और स्पष्ट करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव करेगी, यह घोषणा अटॉर्नी जनरल, माइकल ब्राइंट ने आज की।

''हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ओंटेरियो मानवाधिकारों के प्रोत्साहक, भेदभाव के विरोधी और कमजोरों के रक्षक के रूप में अपनी मुख्य भूमिका कायम रखे,'' ब्राइंट ने कहा। ''बिल 107 में हमारे प्रस्तावित संशोधन, उन बातों का प्रत्युत्तर हैं जो हमने जारी विचार–विमर्श के दौरान, कानूनी समिति की सुनवाई में, और बारबरा हॉल, मुख्य आयुक्त, ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग, के साथ बैठकों में सुनी हैं। प्रस्तावित कानून हमारी नई मानवाधिकार प्रणाली को ज्यादा मजबूत, तीव्र और अधिक प्रभावी बनाएगा।''

बिल 107, मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, के लिए प्रस्तावित मुख्य सरकारी संशोधनों में शामिल हैः

- एक नए सार्वजनिक निधिकृत मानवाधिकार कानूनी सहायता केंद्र के सृजन सहित ओंटेरियो के मानवाधिकार अधिकरण में समाधान पाने के इच्छुक लोगों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं की रेंज बढ़ाना
- मानवाधिकार मामलों की जांच के लिए आयोग की शक्ति और अधिकरण के समक्ष पेश सभी मामलों में हस्तक्षेप करने के इसके अधिकारों को मजबूत करना।
- आयोग की अपनी विवेकशीलता और जनहित हेतु कार्य करने के लिए स्वायत्तता बढ़ाना। इसमें ओंटेरियो के लोगों को सीधे रिपोर्ट देना शामिल होगा
- प्रक्रियात्मक स्पष्टता एवं पारदर्शी निर्णय को प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण के अधिकारों को स्पष्ट करना
- आयोग और अधिकरण में नियुक्ति के लिए पात्रता–आधारित मापदंड सृजित करना
- शुल्क तय और वसूल करने की अधिकरण की सामर्थ्य समाप्त करना
- दावा दाखिल करने की समयावधि को छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करना
- मौजूदा शिकायतों पर मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत विचार करने की अनुमति के लिए अस्थायी प्रावधानों का समायोजन करना।

''मुझे पूरा विश्वास है कि ये संशोधन जिनकी हम बात कर रहे हैं, ओंटेरियो में मानवाधिकारों की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए एक मजबूत प्रणाली प्रदान करेंगे,'' हॉल कहते हैं। ''यह बिल आयोग के लिए बड़े वर्गीकृत मामलों में अधिक सक्रिय एवं नीतिगत कदम उठाने के लिए ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करता है। मैं, इस बिल के संशोधनों और नई प्रणाली में सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अटॉर्नी जनरल, अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के प्रति वचनबद्ध हूँ।''

.../2

''ये प्रस्तावित संशोधन सुनिश्चित करेंगे कि अधिकरण की प्रक्रियाएं निष्पक्ष और समयबद्ध हैं,'' अधिकरण के अध्यक्ष, माइकल गुथैल बताते हैं। ''यदि बिल पास होता है तो मेरी इच्छा है कि हम अधिकरण के नियमों और प्रक्रियाओं पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करें ताकि आगे बढ़ा जा सके।''

''हम मानवाधिकार सुधार फाइल में अधिक रिपोर्ट न जोड़ने और ठोस कार्यवाही करने के लिए सरकार की प्रशंसा करते हैं,'' चेथम–केंट सेक्सुअल असाल्ट क्राइसिस सेंटर के कार्यकारी निदेशक माइकल शरयर कहते हैं। ''ये प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई समय से और उनके अधिकार लागू हो सकें।''

''ये प्रस्तावित संशोधन इस प्रदेश को महत्वपूर्ण रूप से ओंटेरियो में बढ़िया, प्रभावी और पहुंच योग्य मानवाधिकार प्रणाली की सुनिश्चितता के करीब लाएंगे'', रेवा डेविंस, भूतपूर्व मानवाधिकार आयुक्त कहते हैं। ''ये महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए।''

''हमारे मानवाधिकार प्रणाली में सुधार की गति धीमी रही है, लेकिन अधिक अध्ययन का समय समाप्त हो गया है,'' पूर्व मुख्य आयुक्त, राज आनंद कहते हैं। ''प्रस्तावित संशोधनों के लिए, अटॉर्नी जनरल का वर्षों का अध्ययन, सूचनाएं और सिफारिशें हैं। मैं, अर्थपूर्ण और प्रभावी मानवाधिकार लागू करने की वचनबद्धता में मैकगुन्टी सरकार सरकार के साहस की सराहना करता हूँ।''

मैकगुन्टी सरकार ओंटेरियो के सबसे कमजोर लोगों की पक्षधर है। यही कारण है कि यह ओंटेरियो की मानवाधिकार प्रणाली को बेहतर ढंग से भेदभाव रोकने और शिकायतों को अधिक निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से निपटाने हेतु आधुनिक और मजबूत बनाने का प्रस्ताव कर रही है। अन्य पहल में शामिल हैं:

- अशक्तता अधिनियम, 2005 के साथ ओंटेरियोवासियों के लिए पहुंच को पारित करना।
- घृणा अपराध के शिकार और आगे उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सेवाओं में सुधार की सिफारिश के लिए घृणा अपराध समुदाय कार्य समूह स्थापित करना।
- ऐसे कानून से परिचय कराना जो, यदि पारित हुआ, पुलिस समीक्षा प्रणाली की स्थापना और एक नई पुलिस शिकायत प्रणाली संचालित करने के लिए एक स्वतंत्र नागरिक निकाय सृजित करेगा।

– 30 –

संपर्क सूत्र:
ग्रेग क्रोन (Greg Crone)
अटॉर्नी जनरल मंत्रालय
(Ministry of the Attorney General)
(416) 326-1785

ब्रेनडन क्रॉले (Brendan Crawley)
संचार शाखा (Communication Branch)
(416) 326-2210

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
सामान्य टेलीफोन पूछताछः 416–326–2220 अथवा 1–800–518–7901

दृष्टिहीन व्यक्ति इस दस्तावेज का मूल पाठ सुनने के लिए
उपरोक्त फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं
टीटीवाईः 416–326–4012

इस दस्तावेज का 14 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
ये अनुवाद शीघ्र ही www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca पर उपलब्ध होंगे।